रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-328/2026/1151/22-2-2024-17(504)/2017

लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीर सिंह (बन्दी संख्या-15707) पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी-ग्राम- बरवानी, थाना-कैराना, जनपद-मुजफ्फरनगर, हाल जनपद-शामली, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-72/1985 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 452,148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-03, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.1996 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.10.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2013 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2) बंदी को एस०टी०नं०-348/09/2011, भा0द0वि0 की धारा-411 के अन्तर्गत मा० जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-01, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 10.05.2013 द्वारा 03 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक अपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 10 माह, 11 दिन की सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, शामली के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-328/2026/1151(1)/22-2-2024 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर/शामली।
3- पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर/शामली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।